0575259
7844 [illegible]
07552
258850

KIND ATTENTION SH. SK MISHRA, DAS

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ 4-ए-02-2012-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम, के नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट उपबंध उसके कालम (3) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कालम (1) में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं की श्रेणियों को लागू नहीं होंगे.

अनुसूची

स्थापनाओं की श्रेणी (1)	अधिनियम के उपबंध जो लागू नहीं होंगे (2)	निबन्धन और शर्तें (3)
वे स्थापनाएं, जो रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आर.ए.आई.) की सदस्य हों.	धारा 13	(1) किसी भी कर्मचारी से दिन में 9 घंटे से ज्यादा या सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं लिया जाएगा. किसी भी कर्मचारी के कार्य के घंटों की विस्तृति एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी.
		(2) प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी में से बगैर कटौत्रा किए सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाएगा और एक माह के ऐसे अवकाशों की समय सूची सूचना पटल पर अग्रिम में प्रदर्शित की जाएगी और उस सूची की एक प्रति यथास्थिति संबंधित श्रम अधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त को भेजी जाएगी.
		(3) साप्ताहिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश के दिन केवल उन्हीं कर्मचारियों से कार्य लिया जाएगा जिन्होंने इस हेतु अपनी सहमति दे दी हो.
		(4) पात्र कर्मचारियों को अधिक समय के लिये कार्य की मजदूरी का भुगतान मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 55 के उपबंध के अनुसार किया जाएगा.
		(5) राष्ट्रीय त्यौहार के दिन कर्मचारी से कार्य लेने पर उसके बदले में उन्हें एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा.
		(6) उपर्युक्त निबंधनों तथा शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर दी गई उक्त छूट स्वयमेव समाप्त हो जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2012

क्र. एफ 2-15-[illegible]-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 25th June 2012

No. F. 4A-02-2012-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act, 1958 (No. 25 of 1958), the State Government, hereby, directs that the provision of the said Act, Specified in Column (2) of the Schedule given bellow shall not apply to classes of establishment specified in column (1), subject to the terms and conditions specified in column (3) thereof.

SCHEDULE

Class of Establishments	Provision of the Act which shall not apply	Terms and conditions
(1)	(2)	(3)
Those Establishments which are members of Retailers Association of India (RAI).	Section 13	(1) No employee shall be required to work for more than 9 hours in a day or 48 hours in a week. The spread over of an employee shall not exceed 12 hours in a day. (2) Every employee shall be given one day holiday in a week without making any deductions from wages on account thereof and the time table of such holidays for a month in respect of employees shall be placed on the notice board in advance and a copy shall be sent to respective Labour Officer or Assistant labour Commissioner, as the case may be. (3) The employees who have given their consent shall only be placed on duty on weekly holiday or other holiday. (4) Wages for overtime shall be paid to eligible employees in accordance with the provision of Section 55 of Madhya Pradesh Shops and Establishment Act, 1958. (5) The Employees working on National Holidays shall be given compensatory leave in lieu thereof. (6) In case of violation of any of the above terms and conditions, the exemption shall stand cancelled automatically.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
AJAY TIRKEY, Principal Secy.